

नम्बर  
अहकाम  
उपक्रम  
जारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तागील  
में जारी हुए


28.8.23

पत्रावली पेश हुई। वहील पत्रकारण  
उपरोक्त बहस उपपत्र में वहील  
प्रार्थी ने अपने उपपत्र में वहील  
तथ्यों को दोहराते हुए उपपत्र  
तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के  
अनुसार स्वीकार करने हेतु  
निवेदन किया। तहसीलदार नैनवां  
की रिपोर्ट का अवलोकन किया।  
तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के  
अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी के  
खसरा सं. 6477/5411 रुकबा 0.2508  
एवं 6476/5411 रुकबा 0.3236 हेक्टेयर  
के बीच में अंतर ही मौजूद रिपोर्ट  
के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी में  
पर एक-दूसरे के विपरीत बँट्टे हुए  
ही तहसीलदार नैनवां ने कब्जा  
अनुसार तस्वीर खींची जाये जाने  
पर आपत्ति नहीं होना अंकित किया  
है।

हमने प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र,  
उस्तुत रिफाई दस्तावेज एवं तहसीलदार  
नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया।  
अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र  
के सम्बन्ध में शकाली जवाब उस्तुत  
किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र  
मुताबिक तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट  
के स्वीकार किया जाता है। ग्राम  
कस्बा नैनवां की ग्रामि खसरा सं.  
6411/5411 खातेदार शविन कुमार  
एवं ग्रामि खसरा संख्या 6476/5411

*(Signature)*



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	<p>खतियार खुशराज, प्रधान भूमियों की वर्तमान तरमीम निरस्त कर प्राचीन एवं अप्राचीन के कब्जे के अनुसार तरमीम दुरस्त क्रिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील, दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">   उपखण्ड अधिकारी  नैनवाँ (बून्दी) </p>

हुक्म या कार्यवाही

न  
अ  
हुक्म  
में जारी